केनरा बैंक Canara Bank

**Ref :: MD&CEO:SD:446/447/11/12:2019** **June 19 , 2019**

| The Vice President<br>The Bombay Stock Exchange Ltd.<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers<br>Dalal Street,<br>MUMBAI – 400 001 | The Vice President<br>Listing Department<br>National Stock Exchange of India Ltd<br>EXCHANGE PLAZA<br>Bandra-Kurla Complex, Bandra [E]<br>MUMBAI 400051 |
|---|---|

Dear Sir/Madam,

**Sub : 17th Annual General Meeting of the Bank – 25.07.2019**
**Ref : Our Letter MD&CEO:SD:402/403/11/12::2019, dated 10.06.2019**

We had, vide the above referred letter, informed the Dates of Book Closure, Specified date for purpose of Election of Shareholder Directors, e-Voting Cut-Off Date and the Date of 17th Annual General Meeting of the Bank.

In this connection, we enclose the Notice of the 17th Annual General Meeting of the Bank for placing on the website/s of the Exchange/s. The same is available on the website of the Bank www.canarabank.com.

We request you to take the same on record.

**Yours faithfully,**

कृते केनरा बैंक
For CANARA BANK

सहायक महा प्रबंधक और कंपनि सचिव
Assistant General Manager & Company Secretary

**VINAY MOHTA**
**COMPANY SECRETARY**

विनय मोहता / VINAY MOHTA
कंपनी सचिव / Company Secretary
ACS - A28792

केनरा बैंक CANARA BANK Secretarial Dept., H.O., Bangalore - 2 सचिवालय विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर - 560 002

# नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई. 2019 को प्रात: 10.30 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर – 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. यथा 31 मार्च, 2019 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र, समापन वर्ष 31 मार्च, 2019 हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन–पत्र व लेखा पर लेखा व ऑडिटर के रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना ।

2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन रहित, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना :

**"संकल्प लिया जाता है कि** "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय–समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (**"आर बी आई "**), भारत सरकार (**"जी ओ आई"**), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 (आई सी डी आर विनियमावली)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्त्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद **"निदेशक मंडल"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की

# NOTICE

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Thursday, the 25th July, 2019 at 10.30 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider and if thought fit, to pass the following special resolution:

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI"),** the Government of India **("GOI"),** the Securities and Exchange Board of India **("SEBI"),** and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers

गयी या आगे की जाने वाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से फर्म को आवंटन / प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तो एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / अन्य अनुमत प्रतिभूतियां जो ईक्विटी में परिवर्तित होने में सक्षम हैं या नहीं, **कुल राशि ₹6000 करोड़ से अधिक नहीं है (केवल छ हजार करोड़ रुपए),** ऐसे प्रीमियम को सम्मिलित करना, जो ईक्विटी शेयरों पर ऐसे समय या समय पर तय किए जा सकते हैं, जैसे कि कीमत या कीमतों में, छूट पर या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय (**"एन आर आई"**), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों (**"क्यू आई बी"**) जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (**"एफ आई आई"**) या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिदेर्शो के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमे से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बट्टा या प्रीमियम सहित होगी

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2018 **(आई सी डी**

including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, **for an aggregate amount not exceeding ₹6000 Crore (Rupees Six Thousand Crore only),** inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the members, employees of the Bank by way of ESPS, Indian nationals, Non-Resident Indians **("NRIs"),** Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors **("FIIs"),** Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

**"RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI / RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

**आर विनियमावली**) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तो पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्त्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रुप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तो के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय–समय पर अधिपत्रों को छोडकर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस

**("ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

**"RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP),

तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 52% से कम धारित न करता हो ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र** संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा या समय–समय पर आईसीडीआर विनियमों के तहत अनुमति दी जा सकती है।

ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है ।

ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा । "

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित

as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI/ SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared,

सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किश्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेन्सियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी / अधिमान शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जाने वाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण / अधिपत्रों का प्रयोग / प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों

if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue / conversion of Securities / exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption

के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किश्त या बट्टा / प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा ।

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्राहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (इसे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के साथ पठित बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन और विविध प्रावधान] योजना, 1970 (इसे आगे "योजना" कहा गया) और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इसे आगे "विनियम" कहा गया) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नवम्बर 2007, डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई,

period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue / conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

**"RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks {Management & Miscellaneous Provisions] Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notifications No. DBOD.No. BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No. DBOD.BC.

2011, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं 16/83/2013–बीओ–I दिनांक 03.09.2013 एवं फा. सं 16/51/2012–बीओ–I दिनांक 28.04.2015 एवं 20.07.2016 के क्रम में अधोलिखित संकल्प पारित करने के द्वारा, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं।

**"संकल्प किया जाता है कि** तन्निहित योजना और विनियमों के साथ पठित धारा 9(3) (i) के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकारके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के बैंक के शेयरधारकों में से 2 निदेशक चुने गये और 27 जुलाई, 2019 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने तक (अर्थात 26 जुलाई, 2022) तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जाएं।

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा**

**आर ए शंकर नारायणन**
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18-06-2019

No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification"), Office Memorandum ref no. F.No. 16/83/2013-BO-I dated 03.09.2013 & F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 & 20.07.2016 of Government of India (GOI) by passing the following resolution: -

**"RESOLVED THAT** two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made thereunder, RBI Notifications and Office Memorandum of GOI, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2019 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2022)"

**By Order of the Board of Directors**

**R A SANKARA NARAYANAN**
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18-06-2019

## टिप्पणियां

1. **व्याख्यात्मक वक्तव्य**

प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 के संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण और निदेशकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है ।

2. **प्रतिनिधि की नियुक्ति**

**बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है ।** प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक आम बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शनिवार, 20 जुलाई 2019 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा किया जाए ।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कार्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शनिवार, 20 जुलाई 2019 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जाती है ।

4. **पंजीकरण**

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रकिया बैठक स्थान में दिनांक बृहस्पतिवार 25 जुलाई 2019 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी । शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें ं

5. **उपस्थिति पर्ची**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची – सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है । शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उसी स्थान पर प्रस्तुत करें । शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या " प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी

## NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Raising of Paid up Capital and Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors are annexed below.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

**A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.** The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, not less than Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 20th July, 2019.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank, not less than four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 20th July, 2019.

4. **REGISTRATION :**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on Thursday, the 25th July, 2019 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. **ATTENDANCE SLIP:**

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as ‘Proxy’ or ‘Authorised

मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। **शेयरधारक / प्रोक्सिधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन / जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन – मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची – सह – प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।**

6. **शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क**

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

**कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड**
**यूनिट : केनरा बैंक**
**कार्वी सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31–32**
**गाचीबौली, वित्तीय जिला, नानाकरामगुड़ा**
**हैदराबाद – 500 032**

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com.पर सूचित / पंजीकृत करें।

अभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तन केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को ई–मेल आईडी पर सूचित करें।

7. **लाभांश का भुगतान / भुगतान की शर्तें:**

बैंक ने वर्ष 2018–19 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है क्योंकि विनियोग के बाद लाभांश वितरण के लिए शुद्ध लाभ उपलब्ध नहीं है।

शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 से गुरुवार, 25 जुलाई 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में बंद रहेंगे।

8. **फोलियो का समेकन**

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके।

Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.**

6. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

**Karvy Fintech Pvt. Ltd**
**Unit : Canara Bank**
**Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32**
**Gachibowli, Financial District, Nanakramguda**
**HYDERABAD – 500 032**

Further, the shareholders are advised to inform / register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. **PAYMENT OF DIVIDEND / CLOSURE OF BOOKS:**

The Bank has not declared any dividend for the year 2018-19 since Net profit is not available for distribution of Dividend after appropriation.

The Register of shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, the 19th July, 2019 to Thursday, the 25th July 2019 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

8. **CONSOLIDATION OF FOLIOS:**

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Karvy Fintech Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates

आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे ।

**9. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो**

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यथा, वर्ष 2011–12 से 2014–15 और 2016–17 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें ।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com. में दावे करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण इनके वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है ।

*बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता । बैंक 28 जुलाई, 2019 को कथित निधि में अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को वर्ष 2011–12 हेतु अंतरित करने की प्रक्रिया में है ।*

**10. वार्षिक रिपोर्ट**

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ । कृपया यह नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड है । शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं ।

**11. शेयरधारकों का मतदान अधिकार**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है । कार्यसूची मद संख्या 1 और 2 के संबंध में वोटिंग कट आफ / निर्दिष्ट तिथि 18.07.2019 और कार्यसूची मद संख्या 3 के संबंध में 21.06.2019 को है ।

will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

**9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods ie., for the years from 2011-12 to 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

*As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2011-12 to the said fund on 28$^{th}$ July, 2019.*

**10. ANNUAL REPORT:**

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website.

**11. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:**

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. The cutoff date/specified date for determination of voting rights with regard to Agenda Item No. 1 & 2 is 18.07.2019 and with respect to Agenda Item No. 3 is 21.06.2019.

12. **ई–वोटिंग**

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दिए गए मदों पर अपना मतदान इलैक्टोनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है । ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के संबंध में सभी शेयरधारकों को एक अलग संसूचना/नोटिस भेजा जा रहा है ।

13. **बैठक में मतदान**

कार्यसूची के सभी मदों पर चर्चा होने के बाद अध्यक्ष सभी मदों के लिए मतदान करने का आदेश देंगे । इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं द्वारा मतदान का आयोजन व पर्यवेक्षण किया जाएगा । । ई–वोटिंग के नतीजों के साथ मतदान के नतीजों की घोषणा बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा ।

**नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य**

1. बैंक की वर्तमान ईक्विटी पूंजी ₹753.24 करोड़ और 31 मार्च, 2019 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.90% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.875% से अधिक है। हालांकि, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं, बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन, और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के मद्देनजर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. बैंक ने अपनी 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक 26.07.2018 को आयोजित की थी, जिसमें क्वालिफाइड इस्टींव्यूशनल प्लेसमेंट और ईएसपीएस सहित विभिन्न मोड के माध्यम से 7000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) के ईक्विटी शेयरों के नए निर्गम के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था।
3. वर्ष 2018–19 के लिए 7000 करोड़ रुपये की कुल पूंजी जुटाने की योजना में, बैंक ने 06.02.2019 को केनरा बैंक – कर्मचारी शेयर क्रय योजना (केनबैंक–ईएसपीएस) के चरण–I के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए 10 रुपये के 2 करोड़ ईक्विटी शेयर जारी किए। यद्यपि बैंक ने योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट या अन्य अनुमोदित मोड के माध्यम से पारित किए गए संकल्प की सीमा तक पूंजी जुटाने की योजना बनाई, लेकिन विभिन्न कारणों से यह मुद्दा पूरा नहीं हो सका। चूंकि 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की वैधता क्यूआईपी के लिए एक वर्ष तक सीमित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल ने फॉलो–ऑन इश्यू, राइट इश्यू, सरकारी और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिमान्य मुद्दे, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट ईएसपीएस और अन्य मोड मोड सहित विभिन्न माध्यमों से 6000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) की सीमा तक पूंजी बढ़ाने का फैसला किया है।

12. **e-Voting:**

The Bank is pleased to provide Remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice are being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

13. **VOTING AT THE MEETING:**

After all the agenda items are discussed, the Chairman will order Voting in respect of all the items. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The Results of the Voting aggregated with the Results of e-Voting will be announced by the Bank on its Website and also informed to the Stock Exchanges.

**EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:**

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹753.24 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2019 is 11.90%, which is well above the 10.875% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
2. The Bank had at its 16th AGM held on 26.07.2018 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of upto ₹7000 Crore(including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement and ESPS.
3. Out of the total capital raising plan of ₹7000 Crore for the year 2018-19, the Bank issued 2 Crore equity shares of ₹10 each to eligible employees under Tranche – I of the Canara Bank-Employee Share Purchase Scheme (CanBank ESPS) on 06.02.2019. Though Bank planned to raise capital to the extent of resolution passed, by way of Qualified Institutional Placements or other approved modes, the issue could not be completed for various reasons. As the validity of the resolutions obtained in the 16th AGM is restricted to one year for QIPs. The Board of Directors of the Bank have decided to raise Capital to the extent of ₹6000 Crore (including premium) during the financial year 2019-20 through various modes including Follow-on Issue, Right Issue, Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement / ESPS and other permitted mode of raising capital.

4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अतंरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेंगे । यद्यपि, केन्द्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा ।

5. *सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह प्रावधान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले । कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें ।*

6. संकल्प, बैंक को सार्वजनिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भा.रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है । इश्यू आगम बैंक को समय–समय पर भा.रि.बै. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को सशक्त करने में सक्षम करेगा ।

7. आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है । निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है ।

   आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसक मूल्य "प्रासंगिक तिथि" के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो । "प्रासंगिक तिथि'' का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है ।

8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबन्धकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्रधिकरण के साथ परामर्श में निर्धारित की जायेंगी ।

4. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

5. *The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.*

6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares / securities by way of Follow on public issue, rights issue and / or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

   In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य–निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अत: यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके । यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अतंरण) अधिनियम, 1970 व समय–समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति अनुसार होगा ।
10. उपर्युक्त कारणों हेतु, इश्यू की शर्तों को अतिंम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में समर्थनकारी संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है ।
11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी रैंक में समरूप हैं ।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । अत: उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपके सहमति का अनुरोध किया गया है ।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्प पारित करने हेतु सिफारिश करता है ।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प से कोई हित या संबंध नहीं है, सिवाय उनके शेयरधारण के, यदि बैंक में हो तो।

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.
10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

**नोटिस के मद संख्या 3 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य**

**शेयरधारक निदेशकों का चुनाव**

बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के 14वीं आम बैठक के दौरान शेयरधारकों में से तीन शेयरधारक निदेशकों को, केन्द्र सरकार के अलावा, चुनने के लिए चुनाव आयोजित किया और तीन प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया । निदेशकों की कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात कार्यभार ग्रहण तारीख से 3 वर्ष है, अर्थात् 27.07.2016 और उक्त कार्यकाल दिनांक 26.07.2019 को समाप्त हो रहा है।

हालाँकि, चुने गए निदेशकों में से एक श्री महादेव नागेन्द्र राव ने व्यक्तिगत कारणों के कारण बैंक के बोर्ड से 02.03.2018 को इस्तीफा दे दिया।

बैंक ने 27.03.2018 को तरजीही आवंटन के माध्यम से भारत सरकार को प्रत्येक 10 रुपये के 13,59,54,616 ईक्विटी शेयर आवंटित किए, जिसने सार्वजनिक शेयरधारिता को घटाकर 27.45% कर दिया। वर्तमान सार्वजनिक शेयरधारिता (भारत सरकार, प्रवर्तक स्वामित्व के अलावा) 29.38% है, जो केनबैंक–ईएसपीएस (आवंटन दिनांक – 06.02.2019) के ट्रेंच I के तहत कर्मचारियों को 10 रुपये के 2 करोड़ ईक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, यदि जनता को जारी की गई भुगतान पूंजी 16% से अधिक है, लेकिन 32% से अधिक नहीं है, तो केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों से भी 2 चुने जाने हैं।

पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक के भाग के रूप में, बैंक ने केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के में से दो निदेशकों का चुनाव करने का निर्णय लिया है।

निर्वाचित निदेशक को 27 जुलाई, 2019 से पदभार ग्रहण करना होगा और वह पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

**EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:**

**ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS**

The Bank, as part of the Fourteenth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, conducted the election for three Shareholder Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government and three candidates were declared elected. Their term of office is 3 years from the date of assuming office after election i.e., on 27.07.2016 and the said term is expiring on 26.07.2019.

However, one of the Directors elected Shri Mahadev Nagendra Rao, resigned from the board of the Bank on 02.03.2018, owing to personal reasons.

The Bank allotted 13,59,54,616 equity shares of ₹10 each to Government of India by way of preferential allotment on 27.03.2018 which reduced the public shareholdings to 27.45%. The current public shareholdings (other than Government of India, Promoter holdings) is 29.38% after allotment of 2 crore equity shares of ₹10 each to employees under Tranche I of the CanBank - ESPS (Allotment Date -06.02.2019)

As per the Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the paid up capital issued to Public is more than 16 % but not more than 32%, 2 Directors are to be elected by the Shareholders, other than the Central Government from amongst themselves.

In line with aforesaid guidelines, the Bank as part of Seventeenth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, has decided to conduct the election of two Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government.

A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2019 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.

**विधिक प्रावधान :**

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के संकेत निम्न सारणी में दिया गया है :

| अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना | प्रावधान | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 | धारा 16 (1)<br>धारा 20<br>धारा 5 (एनई) | किसी निदेशकों को या किसी निदेशकों की ओर से ऋण व अग्रिमों की मंजूरी के लिए सामान्य निदेशक प्रतिबंध का निषेध<br>पर्याप्त हित |
| बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 | धारा 3 (2ई)<br>धारा 9(3)(i)<br>धारा 9(3ए) (ए) से (सी)<br>धारा 9(3ई) व<br>धारा 9(3एबी)<br>धारा 9(3एबी)<br>धारा 9(3बी)<br>धारा 13(2) | निर्वाचन अधिकारों पर प्रतिबंध<br>शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या<br>कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान<br>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ट्रैक रिकॉर्ड तथा अखंडता के आधार पर योग्य व उचित नहीं हो, वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है ।<br>उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) के प्रावधानों को पूरे नहीं करनेवाले निर्वाचित निदेशकों को हटाने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को होगा ।<br>निष्ठा व गोपनीयता का दायित्व |
| राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 | खंड 9(4)<br>खंड 10<br>खंड 11<br>खंड 11 ए<br>खंड 11 बी<br>खंड 12(8) | निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल<br>बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना<br>निदेशक के पद को रिक्त किया जाना<br>निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना<br>निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्तियों को भरना<br>अपने हितानुसार कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन |
| केनरा बैंक (शेयर व अंतरण) विनियम, 2000 (यथा संशोधित) | विनियम 10<br>विनियम 61<br>विनियम 63<br>विनियम 64<br>विनियम 65<br>विनियम 66<br>विनियम 67<br>विनियम 68<br>विनियम 69<br>विनियम 70 | संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग<br>आम बैठकों में मतदान<br>आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक<br>शेयरधारकों की सूची<br>निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का नामांकन<br>नामांकनों की संवीक्षा<br>निर्वाचन विवाद<br>मतदान अधिकार संकल्प<br>प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान<br>प्रॉक्सियाँ |
| भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना– डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007–08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23.05.2011 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) की अनुवर्ती | राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य व उचित मानदंड |
| बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं.16/832013–बीओ–आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/ 51/2012–बीओ–आई,दिनांकित 28.04.2015 और पत्रांक दिनांकित 20.07.2016 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) | | बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में पूर्ण पारदर्शिता व सार्वजनिक हित में कर्तव्य निर्वाह करने हेतु शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिये उम्मीदवारों की "उचित व सही" स्थिति का निर्धारण करते समय अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश दिनांकित 01.06.2011 व दिनांकित 28.04.2015 एवं 20.07.2016 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) को भी ध्यान में रखा जाए। |

**LEGAL PROVISIONS :**

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Scheme / Regulations / Notifications applicable in this regard:

| ACT, SCHEME, REGULATIONS, NOTIFICATIONS | PROVISIONS | SHORT PARTICULARS |
|---|---|---|
| The Banking Regulation Act, 1949 | Section 16 (1)<br><br>Section 20<br>Section 5(ne) | Prohibition of Common Director<br>Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors<br>Substantial Interest |
| The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Section 3 (2E)<br>Section 9(3)(i)<br>Section 9(3A) (A) to (C)<br>Section 9(3AA) &<br>Section 9(3AB)<br>Section 9(3B)<br>Section 13(2) | Restriction on voting rights<br>No. of directors to be elected by the shareholders<br>Special knowledge in certain fields<br>No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.<br>Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.<br>Obligation as to fidelity and secrecy |
| The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 | Clause 9(4)<br>Clause 10<br>Clause 11<br>Clause 11A<br>Clause 11B<br>Clause 12(8) | Term of office of elected directors<br>Disqualifications from being elected as a Director of the Bank<br>Vacation of office of Director<br>Removal from office of an elected Director<br>Filling of vacancy in the office of an elected director<br>Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. |
| Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (as amended) | Regulation 10<br>Regulation 61<br>Regulation 63<br>Regulation 64<br>Regulation 65<br>Regulation 66<br>Regulation 67<br>Regulation 68<br>Regulation 69<br>Regulation 70 | Exercise of rights of joint holders<br>Voting at General Meetings<br>Directors to be elected at General Meetings<br>List of Shareholders<br>Nomination of candidates for election<br>Scrutiny of nominations<br>Election disputes<br>Determination of voting rights<br>Voting by duly authorized representative<br>Proxies |

| | | |
|---|---|---|
| RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011 | Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of nationalized banks |
| Office Memorandum ref no. F. No. 16/832013-BO-I dated 03.09.2013, Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 & dated 20.07.2016 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on Appointment of Part-time Non-Official Directors on the Boards of the Banks. | | To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as Directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, the guidelines dated 01.06.2011, dated 28.04.2015 & dated 20.07.2016 (the extant Government of India guidelines) regarding appointment of Part-Time Non-Official Director also to be kept in mind while carrying out determination of "Fit and Proper" status of the Candidates. |

**संबंधित अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं इत्यादि के सारांश**

शेयरधारकों के सुविधार्थ संबब्द्ध अधिनियमों, योजनाओं, विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचना डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007–08, दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई, 2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ. सं.16/832013–बीओ–आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012–बीओ–आई, दिनांकित 28.04.2015 और 20.07.2016 (भारत सरकर का मौजूदा दिशानिर्देश) के सारांश इस नोटिस के अंत में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे सारांश, नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि या उससे पहले अर्थात् 10 जुलाई, 2019 तक बैंक के सचिवीय प्रभाग को संबोधित अनुरोध पत्र पाप्त होने पर प्रत्याशियों को ई–मेल पर भी प्रेषित किया जाएगा ।

**बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यता :**

क) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने वाला प्रत्याशी जो अधिनियम की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने को इच्छुक है को:

ए) निम्न विषयों में से एक या अधिक में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए

**EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS ETC.**

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, Office Memorandum ref no. F.No. 16/832013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 & dated 20.07.2016 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India are reproduced at the end of this Notice / and also posted on the bank's website www.canarabank.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Secretarial Department of the Bank, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 10th July, 2019.

**QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK :**

a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall-

A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-

– कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
– बैंकिंग
– सहकारिता
– अर्थशास्त्र
– वित्त
– विधि
– लघु उद्योग
– किसी अन्य विषय का विशेष ज़ान एवं व्यवाहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या DBR.Appt. BC.No.39 / 29.39.001 / 2016–17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 को विशेषज्ञता के क्षेत्रों को शामिल किया है। (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार किए जा सकने वाले व्यक्तियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन

बी) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो ; या

सी) किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

ख. अधिनियम की धारा (3एए) की उपधारा (3ए) के प्रावधानों की पूर्वधारणा के बिना और इस अधिनियम या संप्रति प्रवर्तन में रहने वाली किसी अन्य विधि में निहित किसी विषय के विरुद्ध होने वाले से कोई तालूकात नहीं रखते हुए पूर्व अभिलेख, अखंडता और इस दिशा में समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार कोई अन्य मानकों के आधार पर कोई व्यक्ति 'योग्य और उचित हैसियत' वाला न हो तो उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे चुने गये निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दिशा में निर्धारित वार्षिक घोषणाएं करनी होंगी ।

ग. अधिनियम की धारा (3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3एए) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में 'योग्य और उचित' हैसियत निर्धारित करने के प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तौर तरीके, ऐसे निर्धारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके लिए आवश्यक या प्रासंगिक माने जाने वाले मामलों के बारे में भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सकता है ।

घ. आगे, निर्वाचित निदेशकों को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिये एवं इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ।

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small-scale industry
- any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.

(RBI vide its Circular No. DBR.Appt.BC.No.39 / 29.39.001 / 2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

B) represents the interest of depositors; or

C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

b) In terms of Section (3AA) of the Act, without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard. Further the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

c) In terms of Section (3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status', the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

d) Further, the elected directors should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

**बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना :**

क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार व्यक्ति विशेष को निम्न कारणों से निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहरा जाएगा

क. यदि उसे कभी दिवालिया निर्णित किया गया हो या उसने लेनदारों को चुकता नहीं किया हो या

ख. उसे विकृत चित्त पाया गया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो

ग. यदि उसे नैतिक उल्लंघन अंतर्गत किसी अपराध के तहत आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा गया हो।

घ. बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक शामिल करके पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण को छोडकर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित अनुसार किसी (अनुषंगी बैंक में किसी प्रकार का लाभ का पद धारित करता हो।

और

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना – डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007–08, दिनांक 01.11.2007, डीबीओडी. बीसी.सं.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित व वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ. सं.16/832013–बीओ–आई दिनांकित 03.09.2013 व पत्र एफ.सं.16/51/2012–बीओ–आई, दिनांक 28.04.2015 एवं 20.07.2016 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) के अनुसार बैंक के निदेशकों के नामांकन समिति द्वारा उसे 'योग्य और उचित' नहीं पाया गया

**शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता**

चुनाव लड़ने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में बतायी गयी शेयरधारकों की सूची बृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2019 से बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी जिसे बेंगलूर में संदेय केनरा बैंक के पक्ष में माँगड्राफ्ट द्वारा ₹50,000/– (पचास हज़ार रुपए मात्र) अदा करके खरीदे जा सकें।

**DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:**

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or

d) if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 read with Office Memorandum ref no. F. No. 16/832013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 & 20.07.2016 (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

**AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:**

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Thursday, the 04th July, 2019 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bangalore.

### शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों के रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों पर (रविवार तथा दूसरा एवं चौथा शनिवार, बैंक अवकाश को छोड़कर), अर्थात् सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 03.00 बजे से 05.00 तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा । यदि कोई शेयरधारक को रजिस्टर की प्रति या रजिस्टर की हिस्से की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की आवश्यकता है तो प्रति / प्रिंट आउट 1000 शब्द या उसके हिस्से के लिए ₹5/– के पूर्वभुगतान पर आपूर्त किया जाएगा ।

### चुनाव में प्रतिभागिता / निर्दिष्ट तिथि :

तिथि पर कारोबार समय के समापन पर यथा, शुक्रवार, 21 जून 2019 (आगे निर्दिष्ट तिथि लिखा जाएगा) के एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा दिये गये अनुसार सदस्यों / लाभार्थी स्वामी के शेयरधारकों के रजिस्टर / रजिस्टर पर प्रदर्शित नाम वाले शेयरधारक चुनाव में प्रतिभागिता, अर्थात् नामांकन करने के लिए, चुनाव लडने के लिए तथा केन्द्र सरकार के अलावा दो निदेशकों को चुनने के लिए मतदान देने के लिए पात्र होंगे ।

### चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

निदेशक के पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन तब वैध होगा, जब

क. प्रतियोगी एक शेयरधारक है जो शुक्रवार, 21 जून, 2019 तक केनरा बैंक में 100 से कम शेयर नहीं रखता है, चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि / तिथि की तारीख होने के नाते और दिनांक गुरुवार, 25 जुलाई, 2019 की सामान्य बैठक तक, न्यूनतम 100 शेयर धारित करना है।

ख. उसे अधिनियम या योजना / विनियम या भा.रि.बै अधिसूचना के तहत नामांकन प्राप्त करने की आखिरी तारीख बुद्धवार 10 जुलाई, 2019 को निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो ।

ग. अधिनियम के तहत या उनके द्वारा गठित एटॉर्नी के तहत निदेशकों को चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके विधिवत गठित मुख्तार द्वारा लिखित रूप में नामांकन हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। बशर्ते कि कंपनी होने वाले शेयर धारक द्वारा नामांकन कथित कंपनी के निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा किया जाये और ऐसे किये जाने पर इस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा सही सत्यप्रति के रूप में प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति उप महा प्रबंधक, केनरा बैंक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बेंगलूर–560 002 को संबोधित करके केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाये और ऐसी प्रति को कंपनी की तरफ से किया गया नामांकन समझा जायेगा ।

### INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturday and Bank holidays) between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer print outs of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

### PARTICIPATION IN ELECTION/SPECIFIED DATE:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as at the close of business hours on the date i.e., Friday, the 21st June, 2019 (hereinafter referred to as the specified date) shall be entitled to participate in the election i.e. nominate, contest and vote in election of two directors from amongst Shareholders other than Central Government.

### NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

a) contestant is a shareholder holding not less than 100 shares in Canara Bank as on Friday, the 21st June, 2019, being the Specified Date / Date of reckoning for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of General Meeting i.e., Thursday, 25th July, 2019.

b) contestant is as on Wednesday, the 10th July, 2019, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme / Regulation or RBI Notification;

c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Canara Bank addressed to the Deputy General Manager, Canara Bank, MD&CEO's Secretariat, Head Office, 112, J C Road, Bangalore – 560002 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

घ. नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट या आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा होगी कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और वह निदेशक बनने के लिए अधिनियम या योजना या इन विनियमों/ भारिबै अधिसूचना या भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया। विधिवत हस्ताक्षरित और इस बात को पुष्ट करने वाले उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (बायो–डाटा), उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और घोषणा के बाद सूचना से संबंधित कोई घटना घटी है तो उसके बारे में यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता है ।

ङ. उसे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 और भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिसूचनाएं डीबीओडी सं.बीसी सं.46/29.39.001/2007–08, दिनांक 01.11.2007 व डीबीओडी सं. बीसी सं. 47/29.39.001/2007–08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23.05.2011, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. 16/832013–बीओ–I दिनांक 03.09.2013 और पत्र सं. 16/51/2012–बीओ–I, दिनांक 28.04.2015 और 20.07.2016 और उसके बाद किए गए संशोधनों (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों) के तहत उसे निदेशक बनने से अयोग्य नहीं किया गया ।

च. प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिये अधिमानित रूप से कारोबार प्रबन्धन, जोखिम प्रबन्धन, वित्त, मानव संसाधन व आईटी में विशेषज्ञता के साथ ।

छ. प्रत्याशी की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

ज. प्रत्याशी के पास उसके स्वयं के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।

झ. प्रत्याशी किसी भी वर्ग के तहत बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई)/ भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में पहले से निदेशक नहीं होना चाहिये ।

ञ. प्रत्याशी किसी भी वर्ग के तहत निरंतर या मध्यस्थ रूप से 6 वर्षों हेतु किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिये ।

d) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations / RBI Notification or GOI guidelines from being a Director. His / Her personal details (bio-data) duly signed and affirming that details furnished are true to the best of his/her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

e) contestant is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949, or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and Notification No. DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007 and DBOD BC No. 95/29.39.001/2010-11, dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India, Office Memorandum ref no. F.No. 16/832013-BO-I dated 03.09.2013 and Letter F. No. 16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 and 20.07.2016 and amendments made thereafter (the extant Government of India guidelines) issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, from being a director.

f) contestant should atleast be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT;

g) the age of the contestant should not be more than 67 years;

h) contestant should ordinarily have 20 years of work experience, in their particular field.

i) contestant should not be already a Director on a Bank / Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category.

j) contestant should not have served as a Director on the Board of any other Bank / FI / RBI / Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently, under any category.

**नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण :**

केंद्र सरकार से अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के रूप में चुनाव लड़ने को इच्छुक शेयरधारकों को अपने नामांकन पत्र (न्यूनतम 100) घोषणा और संबंधित दस्तावेज जैसे बायो डाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पैन की प्रति, नवीनतम आयकर विवरणी (स्वप्रमाणित) आदि के साथ

**उप महा प्रबंधक**
**सचिवीय प्रभाग**
**प्रबंध निदेशक व मु.का.अ. का सचिवालय**
**केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय,**
**112, जे सी रोड,**
**बेंगलूर–560 002**

को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के पहले कम से कम 14 दिनों के पहले अर्थात् बुद्धवार को सायं 5.00 बजे 10 जुलाई 2019 को बैंक कार्य समय समाप्त होने के पहले किसी कार्यदिवस को प्रस्तुत करना चाहिये। उक्त नामांकन पत्र सारे पहलुओं से पूरे होने चाहिए और इस नोटिस से संलग्न प्रारूप में न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा विधिवत भरे जाने चाहिए अन्यथा नामांकन अस्वीकार कर दिये जाएंगे।

**नामांकनों की संवीक्षा :**

क. नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत तारीख के परवर्ती कार्यदिवस बृहस्पतिवार को **11 जुलाई 2019,** को उनकी संवीक्षा की जाएगी और किसी नामांकन को वैध नहीं पाया गया है तो उसके कारण उल्लेखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. मान्य नामांकन को आरबीआई अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा जांच के अधीन रहेंगे ।

ग. बैंक नामांकन की जांच के समय या बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा सलाह के अनुसार उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में उम्मीदवारों से दस्तावेज, आगे की जानकारी मांग सकता है।

घ. यदि निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन हैं, तो नामांकित उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम और पते निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा। हालाँकि, निर्वाचित शेयरधारक निदेशक 27 जुलाई, 2019 को ही पदभार ग्रहण करेंगे।

**SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:**

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit their nomination forms [a minimum of 100] along with a declaration and the connected documents such as testimonials viz., Bio-data, qualification certificates, experience certificates, copy of PAN, latest Income Tax Return (all self attested) etc., to

**Deputy General Manager**
**Secretarial Department,**
**MD&CEO's Secretariat**
**Canara Bank, Head Office,**
**112, J C Road**
**Bangalore -560 002**

on a working day not less than fourteen days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before closing hours of the Bank i.e., 5.00 p. m. on Wednesday 10$^{th}$ July, 2019. The said nomination forms should be complete in all respects and should be duly filled in by a minimum of 100 Shareholders in the format annexed to this notice failing which, the nominations are liable to be rejected.

**SCRUTINY OF NOMINATIONS:**

a) Nominations shall be scrutinized on Thursday, the **11$^{th}$ July, 2019** and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.

d) If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall be no election at the meeting. However, the elected shareholder directors shall assume office only on 27$^{th}$ July, 2019.

ङ. चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन के लिए निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो मतदान के बहुमत वाले उम्मीदवार को चुना गया माना जाएगा और उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।

च. जिन निदेशकों को चुना गया है, उन्हें 27 जुलाई, 2019 से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

छ. यदि कोई विवाद है तो उसे केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2000 के विनियम के 67 के अनुसार निपटाया जायेगा।

**निदेशकों का कार्यकाल :**

योजना के खंड 9(4) के परिणामस्वरूप चुने गए निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे और पुन: निर्वचित होने के पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसे निदेशक निरंतर 6 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण नहीं करते हों।

**उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले निदेशक को, इस अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत ऐसे चुने गये निदेशक को हटाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर शेयरधारकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**

**नामांकनों का वापस लिया जाना:**

कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेना चाहता है तो वह **20 जुलाई 2019** शनिवार, सायं 5.00 बजे तक बैंक के कार्यसमय के समाप्त होने के पहले ऐसा कर सकता है।

**अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों के सेवानिवृत्ति के तरीके**

क) बैंक में गैर सरकारी धारण बैंक के प्रदत्त पूँजी के 16% से कम है तो बैंक बोर्ड में केवल एक निदेशक को निर्वाचित करने के लिए अर्ह होंगे।

ख) योजन के खंड 4ए के अनुसार अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के अनुसार किया जाता है तथा ऐसे शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से अन्य) द्वारा निर्वाचित निदेशक के तुल्य निदेशक सेवानिवृत्त होंगे और सेवानिवृत्ति का क्रम सबसे अधिक कार्यकाल वाले निदेशक से शुरु होगा;

बशर्ते, दो या दो से अधिक निदेशक के कार्यकाल समान है तो, उन निदेशकों में से अधिक आयु वाले निदेशक पहले सेवानिवृत्त होंगे।

e) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.

f) The directors so elected shall assume office on 27th July, 2019.

g) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

**TENURE OF DIRECTORS:**

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

**Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.**

**WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:**

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on i.e., 5.00 p.m. on Saturday, **the 20th July, 2019.**

**MANNER OF RETIREMENT OF EXCESS ELECTED DIRECTOR :**

a) In the event of the non-governmental holding in the Bank reducing below 16% of the paid-up capital of the Bank, the Bank will be entitled to have only one Directors on the Board of the Bank.

b) In terms of Clause 4A of the Scheme the number of excess director(s) shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director;

Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first.

**निदेशकों के हित**

बैंक के निदेशक यदि चुनाव लड़ता है तो ऐसे समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त कारोबारी मदों में विचार या हित रखेंगे ।

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा**

**आर ए शंकर नारायणन**

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 18-06-2019

**INTEREST OF DIRECTORS:**

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

**By Order of the Board of Directors**

**R A SANKARA NARAYANAN**

MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18-06-2019

## निदेशकों का निर्वाचन – संबद्ध अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि का सारांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुरूप धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड़ (सी) के तहत जारी की गई पूँजी की व्याप्ति के आधार पर शेयरधारक निदेशकों को नियुक्त किया जाना है। बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 की संबद्ध धाराओं और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 की संबद्ध विनियमों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुन: उद्धृत किया गया है।

**बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949**

**पर्याप्तता हित – धारा 5 (एनई)**

i. कंपनी के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा शेयर में लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, प्रदत्त राशि जो पाँच लाख रुपये से अधिक हो या कंपनी के प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो ;

ii. फर्म के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, जो कि कथित फर्म के सभी सहभागियों द्वारा लिये गये कुल पूंजी के 10% से अधिक है ;

**सामान्य निदेशकों पर निषेद्धः धारा 16 (1)**

भारत में निगमित कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक को अपने निदेशक के रूप में नहीं लेगी।

**ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध:**
**धारा 20 :**

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी–
   क. अपने खुद के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी, या
   ख. निम्नलिखितों को या उनके पक्ष में ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबद्धता में प्रविष्ट नहीं होगी:
      (i) उनके किसी निदेशक
      (ii) कोई फर्म जिसमें साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी

## ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, REGULATIONS ETC.,

In terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under Clause (c) of Sub-Section 2 (B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Companies Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and relevant regulations of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

**THE BANKING REGULATION ACT, 1949**

**Substantial Interest – Section 5(ne)**

i. in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid upon which exceeds five lakhs of rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;

ii. in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;

**Prohibition of Common Directors: Section 16 (1)**

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

**Restrictions on loans and advances:**
**Section 20:**

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall –
   a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
   b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of
      i) any of its directors
      ii) any firm in which any of its directors is

या गारंटर के रूप में उसका कोई निदेशक हितधारक हो या

(iii) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं होने वाली कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, या किसी सरकारी कंपनी जिसकी अनुषंगी या धारक कंपनी जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें पर्याप्त हित रखता हो या

(iv) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।

2. जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम इस प्रकार का हो की जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया है, उस तारीख को उपधारा (1) का खंड (ख) प्रवर्तन में हो तो उसके मंजूर किए जाने के लिए कोई वादा नहीं किया हुआ होगा या बैंकिंग विधि (आशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के बाद किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, लेकिन ऐसे आरंभ किये जाने के पहले किये गये वादा के परिणामस्वरूप ऋण या अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय राशियाँ ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम के मंजूर किये जाने के समय निर्धारित अवधि के अंदर या ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो उक्त धारा 5 के आरंभ होने से एक वर्ष के समाप्त होने के पहले वसूल करने के कदम उठाये जाएंगे।

बशर्ते कि किसी संदर्भ में इस मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिये जाने पर ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन ऐसी तारीख तक बढ़ायेगा जो उक्त धारा 5 के आरंभ होने से 3 वर्षों की अवधि के परे न हो।

बशर्ते कि यह उप-धारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक मृत्यु,सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या अन्य किसी कारण से कार्यालय को रिक्त कर दे।

3. उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषित शून्य और निष्प्रभावी होगा।

interested as partner, manager, employee or guarantor, or

iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.

2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-Section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5.

Provided that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit.

Provided further that this Sub-Section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No loan or advance, referred to in Sub-Section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4. किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया हो तब ऐसा व्यक्ति उक्त अवधि के समाप्त होने की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो समझा जायेगा कि उसने उक्त तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

**स्पष्टीकरण – इस धारा में**

क. **"ऋण या अग्रिम"** में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे संव्यवहार के स्वभाव, जिस अवधि के अंदर और ऐसी परिस्थितियों जहाँ संव्यवहार के कारण देय राशि के वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबंद्ध पहलुओं के मद्देनजर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के लिए ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं करेगा।

ख. **"निदेशक"** में बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल होगा, जिसका गठन उसके प्रबंधन, या उसके प्रबंधन तंत्र को इस दिशा में परामर्श देने के लिए किया गया हो।

5. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या इस धारा के लिए कोई संव्यवहार ऋण या अग्रिम है उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करना है जिसका निर्णय अंतिम होगा।

**<u>बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970</u>**

**मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध :**

धारा 3 (2 ई)– केंद्र सरकार के शेयरधारक को छोडकर नये बैंक का कोई भी शेयरधारक नये बैंक के सारे शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के परे उसके द्वारा धारित शेयरों के मामले में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

**निदेशक मंडल का गठन:**

**धारा 9 (3)(i):** जहां धारा 3 की उपधारा (2 बी) के खंड (ग) के तहत पूंजी जारी की गई है: –:

अ) कुल प्रदत्त पूँजी के 16% से अधिक न हो तो, एक निदेशक ।

आ) कुल प्रदत्त पूँजी के 16% से अधिक और 32% तक, दो निदेशक ।

इ) कुल प्रदत्त पूँजी के 32% से अधिक हो तो तीन निदेशक।

4. Where any loan or advance referred to in Sub-Section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that Sub-Section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

**Explanation – In this Section**

a) **"Loan or advance"** shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section.

b) **"Director"** includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

**<u>THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS ) ACT, 1970</u>**

**Restriction on Voting Rights:**

Section 3 (2E) – No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

**Composition of the Board of Directors:**

**Section 9 (3) (i):** Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

(I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.

(II) More than sixteen per cent but not more than thirtytwo percent of the total paid-up capital, two Directors.

(III) More than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors.

शेयरधारकों द्वारा केन्द्र सरकार के अलावा,अपने में से चुना जाना है ।

बशर्ते है कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण किये जाने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के सम संख्या में सेवानिवृत्त होंगे।

**सत्य और गोपनीयता के रूप में दायित्व::**

**धारा 13 (2) :** नये बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों में प्रविष्ट होने के पहले तीसरी सूची में रूपायित पत्र में सत्य और गोपनीयता की घोषणा करें।

**<u>राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970</u>**

**खंड 11: निदेशक आदि के पद रिक्त करना**

i) कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट अनुसार अयोग्य घोषित होता है या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होता हो तो समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और उसका पद रिक्त हो जायेगा।

ii) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड बी या खंड सी में संदर्भित प्रबंध निदेशक को शामिल करके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र देता हो और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकारे जाने पर समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; और केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से कोई अन्य निदेशक त्यागपत्र देता हो तो ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।

iii) उपर्युक्त उपखंडों के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना अधिनियम 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिसका वह निदेशक है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से अन्य को छोडकर कामगार या कर्मचारी नहीं रह जाता हो तो संदर्भित निदेशक का पद रिक्त हो जाता है।

iv) निर्वाचित निदेशक से अन्य जहाँ निदेशक के पद में रिक्ती

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

**Obligation as a Fidelity and Secrecy:**

**Section 13 (2):** Every Director, member of a local board or a committee, or auditor, advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

**<u>NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970</u>**

**Clause 11: Vacation of Office of Director, etc.**

i) If a Director becomes subject to any of the disqualification as specified in Clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

ii) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

iii) Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.

iv) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected director, it shall

उद्भूत होती है तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुरूप उसे भरा जायेगा।

**खंड 11 एः निर्वाचित निदेशक को पद से हटा देनाः**

केन्द्र सरकार से अन्य शेयरधारक ऐसे शेयरधारकों द्वारा भरी गई शेयर पूँजी के – आधे से कम नहीं होने वाली शेयर पूँजी का धारण करने वाले शेयरधारकों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वचित किसी निदेशक को हटाकर उस रिक्ती को भरने के लिए उसकी बजाय अन्य व्यक्तियों को चुन सकते हैं।

**खंड 11 बीः निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ती को भरनाः**

1) निर्वाचित निदेशक के पद के कार्यकाल समाप्त हो जाने के पहले कोई रिक्ती उद्भूत होती है तो उसे निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा;

   बशर्ते कि रिक्ती अवधि छः महीनों से कम होने की संभावना है तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाये।

2) जैसी भी स्थिति हो उपखंड (1) में निर्वाचित या शामिल किया गया व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती निदेशक की शेष अवधि तक पद संभालेगा।

**निदेशकों द्वारा हितधारण का प्रकट किया जानाः**

**खंड 12 (8):** राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में प्रविष्ट किसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाला निदेशक संबंद्ध परिस्थितियों के बारे में उसकी जानकारी में आने के बाद जितना शीघ्र हो सके बोर्ड को अपने हित के स्वभाव के बारे में प्रकट करेगा। और जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती तो ऐसी, संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और उपस्थित होना अपेक्षित कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

**बशर्ते कि निम्न कारण द्वारा ऐसे निदेशक पर उप–धारा में समाहित कुछ भी इन पर लागू नहीं**

i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में परिभषित किसी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूँजी की दो प्रतिशतता से अनधिक धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक से अन्य) या भारत में संप्रति प्रवर्तन किसी विधि के तहत स्थापित किसी निगम या सहकारी संस्था इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रविष्ट हुआ हो या प्रस्ताव करता हो

be filled in accordance with Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

**Clause 11A: Removal from Office of an Elected Director:**

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of votes of such Shareholders holding in aggregate, not less than one-half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 and elect instead of another person to fill the vacancy.

**Clause 11 B: Filling of Vacancy in the Office of an Elected Director:**

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a elected Director, the vacancy shall be filled in by election;

   Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

2. A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-Clause (1) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.

**Disclosure of Interest by Directors:**

**Clause 12 (8):** A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.

**Provided that nothing contained in this Sub-Clause shall apply to such Director by reason of his being:**

i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal,

या

ii) राष्ट्रीकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक हो तो हो तो उपखंड में निहित कोई तथ्य लागू नहीं होगा।

**केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) अधिनियम, 2000**

**अध्याय II**

**शेयर व शेयर पंजियाँ**

**10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :**

कोई शेयर एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से रहे हों तो रजिस्टर में पहले नाम दर्ज किये गये व्यक्ति को समझा जाएगा कि वह शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करना, सूचना प्रेषण और केनरा बैंक से संबद्ध अन्य किसी मामले में एकल शेयरधारक है।

**अध्याय IV**

**शेयरधारकों की बैठक**

**61. सामान्य बैठक में मतदान**

i) किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प पर, मतदान अपेक्षित नहीं हो तो हाथ दिखाने के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

ii) अधिनियम के प्रावधान के अन्यथा, सामान्य बैठक को प्रस्तुत किये गये हर मामले पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

iii) उप विनियम (1) के तहत मतदान अपेक्षित नहीं होता तो बैठक के अध्यक्ष के इस आशय की घोषणा की हाथ दिखाने के द्वारा संकल्प विशेष को एकमत से या बहुमत विशेष के साथ अपनाया गया है या अपनाया नहीं गया है और ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरूद्ध प्राप्त मतों की संख्या और अनुपात के साक्ष्य के बिना कार्यवाही का कार्यवृत्त रहने वाली बहियों में इस आशय की प्रविष्टि उस तथ्य का निष्कर्षात्मक साक्ष्य होगा।

iv) हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर किये गये मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा बैंक के किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस आशय से संकल्प पर मतदान करने वालों के कम से कम 1/5 सदस्यों की मांग पर प्राप्त करने के लिए आदिष्ट होगा।

or

ii) An officer or other employee of the nationalized bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

**CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000**

**CHAPTER II**

**SHARES AND SHARE REGISTER**

**10. Exercise of Rights of Joint Holders:**

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

**CHAPTER IV**

**MEETING OF SHAREHOLDERS**

**61. Voting at General Meeting.**

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v) मतदान की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान की माँग कभी वापस ली जा सकती है।

vi) बैठक के आस्थगन या अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर माँगा गया मतदान तत्काल होगा।

vii) किसी अन्य प्रश्न पर माँगा गया मतदान बैठक के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार लिया जायेगा, जो माँग किये समय से 48 घंटों के बाद न हो।

viii) मतदान करने के लिए व्यक्ति विशेष की योग्यता और मतदान अपनाये जाने के संदर्भ में भी व्यक्ति विशेष कितने मत देने के लिए सक्षम होगा, इन पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

**अध्याय V**

**निदेशकों का निर्वाचन**

**63. सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक :**

i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत केंद्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर पर रहने वाले उनके द्वारा शेयरधारकों में से केनरा बैंक की सामान्य बैठक में निदेशक को चुना जायेगा।

ii) किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है तो उसकी सूचना बैठक आयोजित करने की सूचना में शामिल की जायेगी। ऐसी प्रत्येक सूचना निर्वाचित किये जाने वाले निदेशकों की संख्या और जिन रिक्तियों के लिए चुनाव किया जा रहा है, उनका ब्यौरा भी विनिर्दिष्ट करें।

**64. शेयरधारकों की सूची :**

i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप–विनियम (1) के तहत निदेशक को निर्वाचित करने के लिए उन शेयरधारकों की सूची बनाई जायेगी, जिनके द्वारा निदेशक को चुना जाना है।

ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीखों के साथ उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विशिष्ट संख्याएं और निर्वाचन आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए नियत तारीख पर वे कितने मतों के लिए पात्र होंगे, उसकी संख्याएं होंगी और सूची की प्रतियाँ बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर बैठक के

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

**CHAPTER V**

**ELECTION OF DIRECTORS**

**63. Directors to be elected at General Meeting:**

i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.

ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

**64. List of Shareholders:**

i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases

लिए नियत तारीख के पहले कम से कम तीन हफ्तों के पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

**67. निर्वाचन संबंधी विवाद :**

i) निर्वाचित समझे या निर्वाचित घोषित किये जानेवाले व्यक्ति विशेष की योगयता या अयोग्यता के बारे में, या निदेशक के निर्वाचन की वैद्यता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र प्रत्याशी या शेयरधारक होने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि के सात दिनों के अंदर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से सूचित करेगा और उक्त सूचना में जिन बातों के आधार पर निर्वाचन की वैधता पर वह संदेह कर रहा है या निर्वाचन पर विवाद है।

ii) उप विनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक ऐसी समिति के निर्णय के लिए ऐसे संदेह या विवाद को संदर्भित करेगा, जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।

iii) उप विनियम (2) में संदर्भित समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछताछ करेगी और यदि वह यह महसूस करे कि चुनाव वैद्य है, तो वह निर्वाचन के परिणाम घोषित करेगी या चुनाव को वैध नहीं महसूस करता है तो वह जाँच–पड़ताल के शुरू के 30 दिनों के अंदर उसे संगत लगने वाली परिस्थितियों में नये सिरे से निर्वाचन आयोजित करने के साथ–साथ ऐसे आदेश और निर्देश दे सकती है।

iv) इस विनियम के परिणामत: ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

**अध्याय VI**

**शेयरधारकों के मतदान अधिकार**

**68. मतदान अधिकारों का निर्धारण:**

i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य बैठक की तिथि के पहले रजिस्टर बंद कर दिये जाने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक

atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

**67. Election Disputes:**

i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman, Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman, Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman, Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

**CHAPTER VI**

**VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS**

**68. Determination of Voting Rights:**

i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure

शेयरधारक को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एकमत होगा।

ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न हो, जो व्यक्तिश: या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा। जैसे उपर्युक्त उपविनियम (1) में बताया गया है

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए,"कंपनी" का अर्थ किसी भी निकाय कॉर्पोरेट है।

**कृपया नोट करें कि शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में मतदान केवल रिमोट ई–मतदान व पोल के माध्यम से ही किया जाएगा ।**

iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होकर मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक उनके बदले में उपस्थित होकर मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने के लिए पात्र होगा और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में  बात करने का अधिकार नहीं होगा।

**69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :**

i) केंद्र सरकार या कंपनी होने वाला शेयरधारक जैसी भी स्थिति हो प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में 'विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि' कहा गया)। प्राधिकृत व्यक्ति केंद्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी तरफ से उन्हीं अधिकारों उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जैसे वह केनरा बैंक का व्यष्टी शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका निभा सकता है।

ii) कोई भी व्यक्ति उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विधिवत नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रति पर जिस बैठक में उसे पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि होने के आशय के प्रमाणन के बिना और उसे बैठक की नियत

of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

Explanation – for this Chapter, "Company" means any body corporate.

**PLEASE NOTE THAT THE VOTING IN RESPECT OF ELECTING SHAREHOLDER DIRECTOR SHALL ONLY BE DONE BY REMOTE e-VOTING AND POLL.**

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

**69. Voting by Duly Authorised Representative:**

i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.

ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true

तारीख के चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होगा या मत नहीं देगा।

**70. प्रॉक्सियाँ :**

i) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक के रूप में नाम लिखे गये शेयरधारक या उसके विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा या नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया हो तो कोई भी प्रॉक्सी पत्र वैद्य नहीं होगा।

बशर्ते कि कोई प्रॉक्सी पत्र किसी शेयरधारक, जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त हस्ताक्षरित होगा, यदि उसका चिन्ह उस पर अंकित होकर किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रैट, एश्यूरेंस के रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार, अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता हो।

ii) विधिवत स्टैम्प होकर उसकी प्रति बैठक के लिए नियत तारीख से चार दिन पहले ऐसे मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि है तो) पहले ही केनरा बैंक में जमा और पंजीकृत नहीं किया गया है तो, जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किये गये हैं उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति जिसे सत्य प्रतिलिपि होने के आशय से नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया हो, के साथ केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की जाती तो कोई भी प्रॉक्सी वैध नहीं होगी ।

iii) फॉर्म 'बी' में न होने पर कोई भी प्रॉक्सी पत्र वैध नहीं होगा।

iv) केनरा बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी पत्र वापस नहीं होगा और अंतिम होगा।

v) विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किया गया है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं होंगे।

vi) इस विनियम के तहत प्रॉक्सी पत्र देने वाला वह पत्र जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिश: मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।

vii) केनरा बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

**भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना– डीबीओडी सं. 46/29.39.001 /2007–08 और डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007–08, दिनांक**

copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

**70. Proxies:**

i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing;

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.

ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Canara Bank.

iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.

iv) An instrument of proxy deposited with Canara Bank shall be irrevocable and final.

v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

**Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 & DBOD No. 47/29.39.001/2007-**

**01 नवम्बर 2007 और डीबीओडी सं. 95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई, 2011 :**

**भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नवत अधिसूचित किया है:**

इसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा "योग्य और उचित" स्थिति नहीं दी जाती तो कोई भी नामांकन वैध नहीं होगा। नामांकनों के साथ शिक्षा योग्यता, अनुभव और विशेषज़ता क्षेत्र और प्रत्याशियों की सत्य के मामले में योग्य और उचित स्थिति निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को समर्थ बनाने के लिए प्रत्याशियों के बारे में अतिरिक्त सूचना होनी चाहिए। किसी प्राधिकार या नियंत्रक एजेंसी के प्रतीप अवलोकन या किसी बैंक या वित्त संस्था के ऋण की चूक या दिवालिया संबंधित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य और अनुचित बनायेगा।

**अधिसूचनाओं की प्रमुख विशेषताएं :**

"योग्य व उचित" स्थिति के निर्धारण हेतु प्राधिकरण, व्यवस्था / प्रक्रिया व मानदंड निम्न अनुसार है :

क. प्राधिकारी :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेशक मंडल में से न्यूनतम तीन निदेशकों (सभी स्वतंत्र / गैर–कार्यपालक निदेशक) वाले "नामांकन समिति" का गठन करने की आवश्यकता है । निदेशक मंडल को स्वयं में से एक को नामांकन समिति का अध्यक्ष भी चुनना चाहिये । अपेक्षित कोरम तीन है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं । पहले से नामांकित किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में निदेशक मंडल बैठक हेतु किसी भी अन्य स्वतंत्र निदेशक को उसके स्थान पर नामांकित कर सकता है । नामांकन समिति के गठन के समय बोर्ड उसके कार्यकाल पर विचार कर सकता है।

**ख. तरीका व प्रक्रिया :**

नामांकन समिति को मौजूदा निर्वाचित निदेशक / कथित अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के "उचित व योग्य" स्थिति के निर्धारण हेतु समुचित सावधानी बरतनी चाहिये । इस उद्देश्य हेतु बैंक को चुनाव हेतु नामांकन दायर करने वाले मौजूदा निर्वाचित निदेशकों / व्यक्तियों से संलग्नित प्रारूप (अनुबन्ध 1) में आवश्यक सूचना व घोषणा प्राप्त करनी चाहिये । नामांकन समिति को निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के मामले में नामांकन की स्वीकार्यता के अंतिम तिथि से पूर्व बैठक आयोजित करनी चाहिये एवं तत्पश्चात यह निर्णय लेना चाहिये कि निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर उस व्यक्ति का अभ्यावेदन स्वीकार

**08, dated 01st November, 2007 and DBOD No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 :**

The Reserve Bank of India has notified as under :

No nomination shall be valid unless "Fit and Proper" status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination committee to decide on the Fit and Proper status with regard to educational qualification, experience and field of expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.

**SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION/S :**

The Authority, Manner / Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper "status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide

करना या नहीं । समिति की परिचर्चा बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिये एवं यदि मतदान होता है तो, मौजूदा व प्रस्तावित निदेशकों, दोनों के मामले में ही उचित रूप से नोट किया जाना चाहिये । हस्ताक्षरित घोषणा में उपलब्ध सूचना के आधार पर नामांकन समिति को अभ्यार्थी के स्वीकार्यता या अन्यथा पर निर्णय लेना चाहिये एवं जहाँ आवश्यक लगे, वहाँ इंगित आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्राधिकरण / व्यक्ति को संदर्भित किया जाना चाहिये ।

ग. मापदंड :

नामांकन समिति को निम्नलिखित अनुसार व्यापक मानदंडों के आधार पर मौजूदा निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित अभ्यर्थी के 'योग्य व उचित' स्थिति का निर्धारण करना चाहिये :

(i) शैक्षणिक योग्यता

(ii) अनुभव व विशेषज्ञता का क्षेत्र

(iii) ट्रैक रिकॉर्ड व विश्वसनीयता

(उपरोक्त सूची केवल दृष्टांत है एवं संपूर्ण नहीं है।)

नामांकन समिति को यह देखना चाहिये कि उपरोक्त मानदंडों में से किसी का भी गैर–अनुपालन मौजूदा निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में दायित्व उन्मोचित करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है या नहीं । आगे, किसी भी प्राधिकरण / विनियामक एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस के अंतर्गत आए अभ्यार्थी या किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण के मामले में चूककर्ता या दिवालियापन वाले व्यक्ति बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अयोग्य व अनुचित होंगे ।

क. अन्य मामले :

यह वांछित है कि सार्वजनिक हित में यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचित निदेशक प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को प्रसंविदा विलेख निष्पादित कर रहे हैं (डॉ. गांगुली ग्रुप द्वारा भा.रि.बै. परिपत्र डीबीओडी संख्या बीसी. 116/08.139.001/ 2001–02 दिनांक 20.06.2002 द्वारा किए गए सिफारिशानुसार)

यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशकों को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को एक साधारण घोषणा देनी है कि उनके द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एवं जहाँ भी परिवर्तन हुआ है, वहाँ निदेशक द्वारा अपेक्षित जानकारी दी गई है । यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो नामांकन समिति को फिर से समुचित सावधानी

whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority / persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/ proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Educational Qualification

(ii) Experience and field of expertise

(iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should

बरतनी चाहिये एवं निदेशक के 'योग्य व उचित' स्थिति की फिर से जाँच करनी चाहिये ।

**अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के चयन हेतु दिशानिर्देश – भारत सरकार दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011, जिसे कि भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 03.09.2013 द्वारा लागू किया गया है एवं एमओएफ पत्र संख्या 16/51–2012–बीओ–आई दिनांकित 28.04.2015 एवं 20.07.2016 (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) द्वारा संशोधित किया गया है ।**

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक / वित्तीय संस्थान आदि के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के नामांकन हेतु निम्न मापदंडों को अपनाया जा सकता है।

**सामान्य :**

1. प्रासंगिक अधिनियमों / नियमों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा।

   अर्हता व अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विश्वसनीयता आदि अनुसार नामिति की उपयुक्तता को मूल्यांकित किया जा सकता है । विश्वसनीयता व उपयुक्तता मूल्यांकित करने हेतु आपराधिक रिकॉर्ड पर जानकारी, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण वसूली हेतु किये गये सिविल कार्य, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश करने से मना या निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों, पिछले संदिग्ध कारोबार प्रथाओं आदि पर पर विचार किया जाएगा ।

**अनुभव :**

क. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट नियम, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में श्रेष्ठ विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को सामान्यत: विचारार्थ लिया जाएगा । किसी उच्च पद पर 20 वर्षों का उद्योग अनुभव, संबंधित क्षेत्रों (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में बदलाव लाया) में स्थापित विशेषज्ञ को अधिमान्यता दी जाएगी ।

ख. कुल 20 वर्षों के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनका संयुक्त सचिव व ऊपर के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी । पूर्व–सीएमडी / ईडी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के पश्चात को उस पीएसबी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा, जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है । पीएसबी के सेवारत सीएमडी / ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

**GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTORS – GOI GUIDELINES DATED 01.06.2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated 03rd September, 2013 and revised vide MOF Letter No, 16/51-2012-BO-I dated 28.04.2015 & 20.07.2016 (the extant guidelines of GOI):**

The following criteria may be adopted for nomination of Part-Time Non-Official Directors (NOD) on the boards of public sector banks / financial institutions etc.,

**GENERAL**

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts / Rules.

   The suitability of nominees may be assessed in terms of qualification and expertise, track record, integrity etc., For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

**EXPERIENCE**

a) Persons with eminence special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, co-operation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs / EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs / EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

ग. 20 वर्षों से अधिक के अनुभव युक्त प्रमुख बैंकिंग प्रबन्धन संस्थान के शिक्षाविद निदेशक व प्रोफेसर

घ. 20 वर्षों के अनुभव युक्त सनदी लेखाकार (ऑडिट अनुभव के अलावा) को अधिमान्यता दिया जाएगा ।

ङ. यद्यपि, मामले के मेरिट के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मापदंडों में रियायत दी जा सकती है ।

च. जहाँ तक संभव हो, महिला व अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. समुदाय से संबद्ध व्यक्ति को भी अभ्यावेदन दिया जा सकता है ।

**शिक्षा :**

गैर आधिकारिक निदेशक कम से कम किसी भी क्षेत्र में, अधिमानित रूप से कारोबार प्रबन्धन, जोखिम प्रबन्धन, वित्त, मानव संसाधन व आईटी में विशेषज्ञता के साथ स्नातक होना चाहिये ।

**आयु :**

सर्च समिति द्वारा सिफारिश की तिथि पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

**कार्य अनुभव :**

पेशेवरों / शिक्षाविदों के पास आमतौर पर उनके विशेष क्षेत्र में 20 वर्षों का कार्य–अनुभव होना चाहिए।

**अयोग्यता :**

क) किसी भी वर्ग के तहत बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई) / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में पहले से निदेशक को किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

ख) अवक्रय, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा–बैंकिंग गतिविधियों से संबद्ध व्यक्ति, एमपी, एमएलए, एमएलसी व स्टॉक ब्रोकर को बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । अवक्रय, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा–बैंकिंग गतिविधियों में लिप्त निवेशक, यदि उसके पास ऐसी कंपनी में प्रबन्धकीय नियंत्रण नहीं है तो, गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य होगा ।

ग) व्यक्ति जिसने दो अवधि या 6 वर्षों हेतु, इनमें से जो भी अधिक है, किसी भी वर्ग के तहत पूर्व में निदेशक के रूप में कार्य किया है तो, उसे बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में पुन:नामित नहीं किया जाएगा ।

c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

d) Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.

e) However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

f) As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST / OBC community.

**EDUCATION**

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

**AGE**

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

**WORK EXPERIENCE**

Professionals / academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

**DISQUALIFICATIONS**

a) A director already on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank / FI / RBI / Insurance Company.

b Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks / FIs / RBI / Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

c) No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

**कार्यकाल :**

यदि ऐसा निदेशक पहले से ही निरंतर या मध्यस्थ आधार पर 6 वर्षों हेतु किसी भी अन्य बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक / शेयरधारक निदेशक रहा है तो बैंक / एफआई / भा.रि.बै. / बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

**व्यावसायिक प्रतिबन्ध :**

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और विविध) प्रावधान योजना, 1970 की धारा 10 (डी) के तहत व्यावसायिक प्रतिबंध के साथ किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद के मुद्दे पर अलग से जांच की जा जानी चाहिए।

यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में एक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में लगी हुई है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / पीएसबी में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

यदि एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में लगी हुई है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों में से कोई भी भागीदार उसी बैंक में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

**TENURE**

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank / FI / RBI /Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder- Director on the board of any other Bank / F I /RBI / Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

**PROFESSIONAL RESTRICTION**

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous) Provision Scheme, 1970 may be separately examined.

If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank(PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-official Director in any nationalized Bank / PSB.

If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalized Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non-official Director in the same Bank.

# नामांकन पत्र

सेवा में,
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केनरा बैंक,
प्रधान कार्यालय : बेंगलूर

प्रिय महोदय,

## निदेशकों का निर्वाचन

आपके निर्दिष्ट दिनांक 10.06.2019 एवं एजीएम नोटिस दिनांक 18.06.2019 के संदर्भ में मैं,..................... चुनाव में भाग लेने हेतु निर्दिष्ट तिथि यथा शुक्रवार, 21.06.2019, को केनरा बैंक के प्रत्येक ₹10/– के ..................................... ईक्विटी शेयरधारक हूँ, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंत्रण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक के रूप में 25 जुलाई 2019, बृहस्पतिवार को होने वाले बैंक शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक आम बैठक में चुने जाने के लिए ............................................ के निवासी श्री / श्रीमती ............................. पुत्र / पुत्री / पत्नी ................................ को एतद्द्वारा नामित करता हूँ ।

| | |
|---|---|
| हस्ताक्षर | |
| नाम | |
| शेयरों की संख्या | |
| पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकीकृत न हो तो) | |
| डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या<br>(अभौतिकीकृत हो तो) | |
| स्थान | |
| दिनांक | |

**टिप्पणियाँ:**

1. नैगम निकाय का नामांकन है तो नामांकन के साथ जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए ।
2. प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षरों को बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षर के साथ मेल खाना चाहिए ।
3. उपर्युक्त में से किसी कॉलम को रिक्त छोड दिए जाने से ब्यौरे को गलत पाए जाने से नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

# NOMINATION FORM

To
The Managing Director & CEO,
CANARA BANK
Head office: Bangalore.

Dear Sir,

## ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your intimation dt. 10.06.2019 & AGM notice dated 18.06.2019 I, ______________ a shareholder of Canara Bank holding __________ equity shares of ₹10/- each as on Friday the 21.06.2019 (i.e.,) the specified date for participating in the Election do hereby nominate Sri/Smt.______________ son/daughter/wife of ____________________ residing at _________________ for being elected as a Director of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the 17th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Thursday, the 25.07.2019.

| | |
|---|---|
| Signature | |
| Name | |
| Number of shares | |
| Regd. Folio No.<br>(If not dematerialized) | |
| DP ID No. & Client ID No.<br>(If dematerialized) | |
| Place | |
| Date | |

**Notes:**

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

# घोषणा

(प्रत्याशी द्वारा)
(केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के विनियमन 65 का संदर्भ लें)

मैं .......................................... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती ......................................... निवासी ............................................................ ................................. एतद्द्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि

क. मैं निर्वाचन में भाग लेने के लिए यथा **शुक्रवार, 21 जून 2019** अर्थात् विनिर्दिष्ट तिथि को बैंक के प्रत्येक के ₹10/– के ......................... ............ ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ, तथा धोषणा करता हूँ कि कार्यकाल की समाप्ति तक शेयर धारण करूंगा, यदि बैंक के निर्देशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ

ख. मुझे *(i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग या .............. .................... (भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक हेतु उपयोगी) विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की उप धारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं व किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में मैं एतद्द्वारा संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता / करती हूँ; और

ग. मैं .................................... संख्यक नामांकनों को स्वीकृत करता / करती हूँ; और

घ. मैं केनरा बैंक के निदेशक के लिए के लिए चुनाव में भाग लेना चाहता / चाहती हूँ; और

ङ. मुझे बैंक़िंग कंपनी (अर्जन व वचन का अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2000 व इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संसूचनाओं व सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के गैर–आधिकारिक निदेशक के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से अयोग्य नहीं किया गया; और

च. मैं न तो किसी लाभ के पद पर हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 द्वारा परिभाषित अनुषंगी बैंक का / की कर्मचारी हूँ; और

छ. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं; तथा......................... मैं विशेष रूप से घोषणा करता हूं कि:............. ............................................................

ज. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या कोई भुगतान निलंबित नहीं है या ऋणदाता को बकाया नहीं है;

झ. मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है व ऐसा ही सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है एवं नैतिक अधमता वाले किसी भी अपराध में फ़ौजदारी अदालत द्वारा मैं दोषी नहीं हूं ।

ञ. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है;

ट. मैं किसी भी वर्ग के तहत किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान या भा.रि.बै. या बीमा कंपनी का निदेशक नहीं हूं ।

ठ. मैं किसी भी अवक्रय, वित्तपोषण निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा–बैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़ा नहीं हूं, और ना ही मैं एक सांसद / विधायक / विधान परिषद का सदस्य / शेयर दलाल हूँ;

ड. मैं विगत समय में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या भा.रि.बै. या बीमा कंपनी में दो अवधि या छ वर्षों हेतु किसी भी वर्ग के तहत, जो भी दीर्घ हो व चाहे निरंतर हो या मध्यस्थ, के बोर्ड का निदेशक नहीं रहा हूँ ।

ढ. मैं निर्वाचित हो जाने पर, बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध को समाप्त कर दूंगा, यदि कोई हो, और निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो वर्षों के लिए बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं करुंगा;

# DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000)

I, Shri/Smt________________________________________ son / daughter / wife of Shri / Smt. ________________________
___________, a resident of ______________________________ hereby confirm that:

a. I am a shareholder holding ____________ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on **Friday, 21.06.2019** i.e., the specified date for participating in the elections and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or __________________ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;

c. I accept the nominations numbering ______________;

d. I am willing to contest for the election of Directors of Canara Bank;

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and Notifications issued by Reserve Bank of India in this regard and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks;

f. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
I specifically declare that:

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors;

i. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude.

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;

k. I am not a Director of any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company under any category;

l. I am not connected with any hire-purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock Broker;

m. I have not been a Director on the Board of any Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently.

n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter;

ण. मैं वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म में एक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में शामिल नहीं हूं;

त. मैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में भागीदार नहीं हूं, जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर या समवर्ती ऑडिटर के रूप में लगी हुई है;

थ. मैं इस घोषणा के बाद होने वाली घटनाओं को, यदि कोई हो, यथाशीघ्र पूरी तरह से बैंक को सूचित करुंगा, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर विलेख संविदा का निष्पादन करने के लिए प्रासंगिक है।

द. मैं बैंक के निदेशक के रूप में इस पद को धारण पर्यंत समय समय पर संशोधित सेबी (सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ।

ध. मैं अपने वर्तमान के साथ–साथ अन्य कंपनियों / बैंकों में पिछले निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार देता हूं:

| कंपनी /बैंक का नाम | निदेशक पद का विवरण अर्थात कार्यकाल, अवधि आदि |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

न. मैंने अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न पीडीयू फॉर्म – सभी मामलों में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र में संलग्न किए हैं, जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सर्वथा पूर्ण है।

| | |
|---|---|
| नाम | |
| हस्ताक्षर | |
| शेयरों की संख्या | |
| पंजीकृत फोलिओ संख्या<br>(अभौतिकीकृत न हो तो) | |
| डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या<br>(अभौतिकीकृत हो तो) | |
| | |
| स्थान | |
| दिनांक | |

जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्यूरेंस या अथवा राजपत्रित अधिकारी या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक या केनरा बैंक या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

उपर्युक्त घोषणा मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए

हस्ताक्षर व मुहर – दिनांक सहित

* जो लागू हो उस पर ✓ करें।

o. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public sector Bank as a Statutory Central Auditor;

p. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Nationalized Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor;

q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

r. I undertake to comply relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 as amended from time to time till I hold the position as a Director of the Bank.

s. I give below the details of my present as well as past directorship in other Companies/Banks:

| Name of the Company/Bank | Directorship details viz. tenure, period etc. |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

t. I enclose my personal details in the enclosed PDU Form – Personal Information, Declaration and Undertaking, which I to the best of my knowledge and belief true and complete, in all respects;

| | |
|---|---|
| Name | |
| Signature | |
| No. of Shares | |
| Regd. Folio No.<br>(If not dematerialised) | |
| DP ID No. & Client ID No.<br>(if dematerialised) | |
| | |
| Place | |
| Date | |

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Canara Bank or any nationalised bank.

The above declaration was signed before me.

Signature and Seal with Date

* Tick whichever is applicable

# अभ्यर्थी के बायोडाटा का प्रारूप

(व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा वचन पत्र)

अभ्यर्थी का फोटो यहां चिपकाएं

| | | |
|---|---|---|
| **I. प्रत्याशी का व्यक्तिगत ब्यौरा** | | |
| क | पूरा नाम<br>पिता का नाम | |
| ख | जन्म तिथि | |
| ग | राष्ट्रीयता | |
| घ | शैक्षणिक योग्यता | |
| ङ | संबद्ध पृष्ठभूमि तथा अनुभव | |
| च | स्थायी पता | |
| छ | वर्तमान पता | |
| ज | ई–मेल पता / दूरभाष संख्या / मोबाइल संख्या | |
| झ | आय कर अधिनियम के तहत स्थायी लेखा संख्या तथा आय कर सर्कल का नाम व पता | |
| ञ | संबद्ध ज्ञान और अनुभव (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3–ए) का संदर्भ लें ) | |
| ट | बैंक के निदेशक के लिए संबद्ध कोई अन्य सूचना | |
| **II. उम्मीदवार के रिश्तेदार** | | |
| क | प्रत्याशी के संबंधियों की सूची यदि बैंक से जुड़े हों।{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) देखें} | |
| ख | ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी का हित है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 और धारा 2 (49) देखें) | |
| ग | ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5(एन ई) के अंतर्गत पर्याप्त हित धारक माना गया है। | |
| घ | बैंक का नाम जिसमें प्रत्याशी बोर्ड का सदस्य हो या रहा हो (पद धारण की अवधि का ब्यौरा दें)। | |
| ङ | प्रत्याशी या उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों में से संप्रति उपभुक्त निधि और निधीतर सुविधाएं। | |

# FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE

(Personal Information, Declaration and Undertaking)

Affix Candidate's photo here

| | | |
|---|---|---|
| **I. Personal details of Candidate** | | |
| a. | Full Name<br><br>Father' Name | |
| b. | Date of Birth | |
| c. | Nationality | |
| d. | Educational Qualifications | |
| e. | Relevant Background and Experience | |
| f. | Permanent Address | |
| g. | Present Address | |
| h. | E-mail Address<br>Telephone Number – Landline<br>Mobile Number | |
| i. | Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle | |
| j. | Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 | |
| k. | Any other information relevant to Directorship of the Bank | |
| **II. Relevant Relationships of Candidate** | | |
| a. | List of Relatives if any who are connected with the Bank {Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013} | |
| b. | List of entities if any in which he/she is considered as being interested {Refer Section 184 and Section 2(49)of the Companies Act, 2013} | |
| c. | List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing | |
| d. | Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held) | |
| e. | Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank | |

| | | |
|---|---|---|
| च. | बैंक या किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में प्रत्याशी या उपर्युक्त (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकाय चूककर्ता हों या पहले रहें हो। | |
| **III. व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड** | | |
| क. | संबद्ध व्यावसायिक उपलब्धियाँ (सहायक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाए) | |
| **IV. प्रत्याशी के विरुद्ध, यदि कोई, कार्यवाही की गई हो तो** | | |
| क | प्रत्याशी किसी व्यवसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई विलंबित या शुरू की गई या पूर्व में दोषी ठहराया गया या प्रत्याशी को किसी व्यवसाय / पेशे में प्रविष्ट होने से रोका गया है। | |
| ख | आर्थिक विधियों और विनियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रत्याशी या / और उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध विलंबित या शुरू या पूर्व में दोषी ठहराया गया है तो उनका ब्यौरा। | |
| ग | निदेशक के विरूद्ध विलंबित या शुरू या पूर्व में दोषी ठहराये गये आपराधिक मामलों का ब्यौरा। | |
| घ | क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता के तहत आता है? | |
| ङ | सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर प्रत्याशी या उपर्युक्त II के (ख) व (ग) में सूचीबद्ध निकायों के विरूद्ध कोई जाँच पड़ताल की गई? | |
| च | उम्मीदवार को कभी भी सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है तो विवरण दें। | |
| छ | क्या प्रत्याशी को कभी सेबी, इरडा, डी सी ए, एम सी ए, फेमा, सिबिल आदि जैसे नियंत्रकों के प्रतिकूल नोटिस आए ?<br>**(यद्यपि किसी प्रत्याशी के लिए विनियामकों द्वारा की गई आदेशों तथा जांचों को जिन्हें बाद में पूरी तरह से वापस ले लिया गया हो तो उसे वर्णित किया जाना आवश्यक नहीं होगा, तथापि वैसे वापसी जो तकनीकी कारण जैसे सीमित या क्षेत्राधिकार की कमी इत्यादि के कारण हो तथा योग्यता के आधार पर नहीं हो तो उसे वर्णित किया जाना आवश्यक होगा। यदि विनियामकों का आदेश अस्थाई रूप से आस्थगित किया गया है तथा अपीलीय / न्यायालय की कार्यावाही लंबित है तो उसका वर्णन किया जाना चाहिए।)** | |
| **V** | **उपर्युक्त I से III तक की मदों से संबंधित कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना और योग्य और उचित मानी संबद्ध अन्य सूचना।** | |

| | | |
|---|---|---|
| f. | Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank. | |
| **III. Records of professional achievements** | | |
| a. | Professional achievements relevant<br>(copies of supporting documents to be enclosed) | |
| **IV. Proceedings, if any, against the Candidate** | | |
| a. | If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time. | |
| b. | Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations. | |
| c. | Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate | |
| d. | Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013? | |
| e. | Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency? | |
| f. | Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations/ legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars. | |
| g. | Whether the candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, MCA, RBI, FEMA, CIBIL etc., **(Though it shall not be necessarily for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto., it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned.)** | |
| **V.** | **Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.** | |

| | | |
|---|---|---|
| VI. | **क्या उम्मीदवार ने अपने / अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बैंक के साथ कोई कारोबार किया है? यदि ऐसा है तो, विवरण दें।** | |
| VII. | **अपना दायित्व निभाने में उम्मीदवार / निदेशक क्या किसी व्यक्ति या संस्थान या बैंक या कंपनी आदि के निर्देशों या अनुदेशों पर कार्य कर रहा है? यदि ऐसा है तो, विवरण दें।** | |
| | **घोषणा:** | |
| | मैं पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है। इस घोषणा के बाद घटित होने वाली घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतया सूचित रखने का वचन देता / देती हूँ।<br><br>मैं बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का भी वचन देता / देती हूँ । | |
| | स्थान : | |
| | दिनांक : | उम्मीदवार के हस्ताक्षर |
| अनुलग्नक : 1. जहाँ पर जगह पर्याप्त नहीं है, वहाँ पर सूचना अनुलग्नक के तौर पर क्रमानुसार उचित संदर्भों के साथ प्रदान करें ।<br>2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नक सहित) पर प्रत्याशी हस्ताक्षर आवश्यक है। | | |

## नामांकन समिति की टिप्पणियाँ / अभ्युक्तियाँ

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| नामांकन समिति के सदस्य<br>के हस्ताक्षर<br><br>स्थान :<br>दिनांक : | नामांकन समिति के सदस्य<br>के हस्ताक्षर<br><br>स्थान :<br>दिनांक : | नामांकन समिति के सदस्य<br>के हस्ताक्षर<br><br>स्थान :<br>दिनांक : |

| | | |
|---|---|---|
| **VI.** | **Has the candidate in his / her individual capacity undertaken any business with the Bank ? If so, give particulars** | |
| **VII.** | **in carrying out his / her duties, will the candidate / director be acting on the directions or instructions of any individual or institution or bank or companies etc., If so, give particulars.** | |
| | **Undertaking** | |
| | I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.<br><br>I also undertake to execute the deed of covenants required to be executed by the directors of the Bank. | |
| | Place : | |
| | Date : | Signature of the Candidate |
| Enclosures : 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference. 2. Each pages (including annexure) are required to signed by the Candidate | | |

## Observations / Remarks of the Nomination Committee

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Signature of Nomination Committee member<br><br>Place :<br>Date : | Signature of Nomination Committee member<br><br>Place :<br>Date : | Signature of Nomination Committee member<br><br>Place :<br>Date : |

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर– 560 002

## उपस्थिति पर्ची

## सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक : 25.07.2019

**(कृपया हाजिरी पर्चा भरकर उसे बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर सुपुर्द करें)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| दिनांक: | | समय: | |
| स्थान: | बेंगलूर | | |

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर | | |
| पंजीकृत फोलियो (यदि अभौतिकीकृत न हो) | | डी.पी.आई.डी. |
| | | ग्राहक आई.डी. |
| | | (यदि अभौतिकीकृत हो) |
| शेयरधारक का नाम | | |
| शेयरों की संख्या | | |

-------------------------✂----------------------------------------- यहाँ से काटें -------------------------------------------✂---------------------

केनरा बैंक Canara Bank

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002

## प्रवेश पास

## 17वीं एजीएम – 25.07.2019

(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

| | | |
|---|---|---|
| शेयरधारक का नाम | | |
| शेयरों की संख्या | | |
| पंजीकृत फोलियो (यदि अभौतिकीकृत न हो) | | डीपीआईडी सं |
| | | ग्राहक आईडी सं |
| | | (यदि अभौतिकीकृत हो) |
| उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम | | |
| **शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर** | | |

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रोक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांच के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का वैध साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। **किसी भी स्थिति में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।**

-------------------------✂----------------------------------------- यहाँ से काटें -------------------------------------------✂---------------------

केनरा बैंक Canara Bank

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002

## 17वीं एजीएम – 25.07.2019

(मतदान पत्र / ओटीपी जारी कराने के लिए मतदान काउंटर पर प्रस्तुत करें)

| | | |
|---|---|---|
| शेयरधारक का नाम | | |
| शेयरों की संख्या | | |
| पंजीकृत फोलियो (यदि अभौतिकीकृत न हो) | | डीपीआईडी सं |
| | | ग्राहक आईडी सं |
| | | (यदि अभौतिकीकृत हो) |
| उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम | | |
| **शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर** | | |

केनरा बैंक Canara Bank

(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD BENGALURU - 560 002

**ATTENDANCE SLIP**
**17th ANNUAL GENERAL MEETING – 25.07.2019**

*(to be surrendered at the time of entry)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date: | | Time : | |
| Place: | Bengaluru | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present | | | |
| Regd. Folio (if not dematerialised) | | DPID No. | |
| | | Client ID No. | |
| | | (If dematerialised) | |
| Name of the Shareholder | | | |
| Number of Shares | | | |

-------------------------✂------------------------------------------ Cut here ---------------------------------------------✂--------------------

केनरा बैंक Canara Bank

Head Office, Bengaluru- 560 002

**ENTRY PASS**
**ENTRY PASS – 17th AGM – 25.07.2019**

*(to be retained throughout the meeting)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name of the Shareholder | | | |
| Number of shares | | | |
| Regd. Folio (if not dematerialised) | | DPID No. | |
| | | Client ID No. | |
| | | (If dematerialised) | |
| Name of the Proxy/Representative present | | | |
| **Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative** | | | |

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**

-------------------------✂------------------------------------------ Cut here ---------------------------------------------✂--------------------

केनरा बैंक Canara Bank

Head Office, Bengaluru- 560 002

**17th AGM – 25.07.2019**
*(to be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper/OTP)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name of the Shareholder | | | |
| Number of shares | | | |
| Regd. Folio (if not dematerialised) | | DPID No. | |
| | | Client ID No. | |
| | | (If dematerialised) | |
| Name of the Proxy/Representative present | | | |
| **Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative** | | | |

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: #112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002

**17वीं वार्षिक सामान्य बैठक : 25.07.2019**

फॉर्म "बी"

**प्रॉक्सी फार्म**

(शेयरधारक द्वारा भरने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम ........................................................ निवासी ........................... जिला ........................ राज्य .............................. केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती ................................................ निवासी ............................... जिला ................................ ........ राज्य .....................................को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती ............................................. निवासी ...................... ............ जिला ............... राज्य ............................ को ज्ञानज्योति सभागृह, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु – 560 001 में दिनांक 25 जुलाई, 2019 बृहस्पतिवार को प्रात: 10.30 बजे होने वाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

आज वर्ष 2019 ........................ माह के .........................दिन को हस्ताक्षरित

रजिस्टर्ड फोलियो सं. / ग्राहक आई डी : ....................................................

शेयरों की सं. ........................................................................................

......................................................................................................................

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता: ..............................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

कृपया ₹ 1 का राजस्व स्टाम्प चिपकाएं

..................................................................

प्रथम नामित / एकल धारक के हस्ताक्षर

**प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश**

1. कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि
   क) एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
   ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
   ग) एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
2. यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, जब उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्यूरेंस अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
3. प्रतिनिधि फॉर्म के साथ,
   क) मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
   ख) किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात 20 जुलाई 2019, शनिवार तक कार्यसमय मे **केनरा बैंक,सचिवीय प्रभाग, प्रथम तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु – 560 002** में जमा किया जाए ।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीयन संख्या और ऐसे पंजीयन का दिनांक का उल्लेख करना होगा ।
5. कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फार्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत स्टाम्पित न किया गया हो ।
6. बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी ।
7. यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राह्यों के पक्ष में दी गई हे तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जाएगा।
8. प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस वार्षिक सामान्य बैठक में स्वयं को मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है ।
9. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

केनरा बैंक Canara Bank

(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD, BENGALURU - 560 002

**17th Annual General Meeting – 25.07.2019**
FORM 'B'
**FORM OF PROXY**
[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.........................................................................................................................Resident of .........................................................................in the district of.................... in the State of ............ being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt ........................................ resident of................................................in the district of ...................................in the State of ..........................................or failing him/her, Shri/Smt .................................. resident of .......................................... in the district of ........................................... in the State of .............................. as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Thursday the 25th July, 2019 at 10.30 A.M. at *Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru – 560 001,* and at any adjournment thereof.

Signed this ................................................ day of .............. 2019

Regd. Folio No./Client ID: ................................................................

No. of Shares ........................................................................................

.............................................................................................................
Signature of Proxy

Name & Address:.................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Please affix
₹1.00
Revenue Stamp

.............................................................................................................
Signature of the first named / sole shareholder

**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, First Floor, Head Office 112, J C Road Bengaluru – 560 002** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Saturday, the 20th July, 2019.
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.